



स्वास्थ्य विभाग

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए
राज्य में मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल आने-जाने हेतु

निजी एम्बुलेंस के किराये का दर निर्धारण

इन एम्बुलेंस में बेसिक लाईफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएँ उपलब्ध रहेंगी,
निर्धारित दर आने-जाने की दूरी को मिलाकर की गयी है-

क्र०	वाहनों का प्रकार	कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस अनुशंसित दर (रुपये में) (50 कि०मी० तक आने-जाने सहित)	50 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अनुशंसित दर के अतिरिक्त देय राशि प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित)
1	छोटी कार (सामान्य)	1500/-	18 रु० प्रति कि०मी०
2	छोटी कार (वातानुकूलित)	1700/-	18 रु० प्रति कि०मी०
3	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	1800/-	18 रु० प्रति कि०मी०
4	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	2100/-	18 रु० प्रति कि०मी०
5	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/टैपो/ट्रेवलर एवं समकक्षीय (14-22 सीट)	2500/-	25 रु० प्रति कि०मी०
6	जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/ट्वेरा (वातानुकूलित)	2500/-	25 रु० प्रति कि० मी०

ऊपर वर्णित दरों से अधिक शुल्क लेने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध
"Covid-19 Regulations 2021, Disaster Management Act 2005, एवं
The Epidemic Disease Act 1897" के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

किसी भी प्रकार की शिकायत एवं
समस्या के समाधान हेतु सम्पर्क करें-

नियंत्रण कक्ष

06202751107

ई-मेल आईडी

transecy-bih@nic.in

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार